रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-18092026-276314
CG-TL-E-18092026-276314

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948
No. 554] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

हैदराबाद, 10 सितंबर, 2026

फा. सं. आईआरडीएआई/ डीओपी/ 13/227/2026.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम, 1938 / विनियमों/ दिशानिर्देशों के अधीन अर्थदंड लगाने/ निदेशों के निर्गम के लिए अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	**धारा सं./विनियम सं.**	**शक्ति का स्वरूप**	**शक्ति निम्नलिखित को प्रत्यायोजित**
1.	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34	अभिनिर्धारित उल्लंघनों के लिए किसी बीमाकर्ता या विशेष रूप से बीमा मध्यवर्ती को किसी प्रवर्तन कार्रवाई में निदेशों का निर्गम	क अध्यक्ष; अथवा
2.	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102	किसी भी व्यक्ति पर जो (क) कोई दस्तावेज, विवरण, लेखा, विवरणी या रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं करता, (ख) निदेशों का अनुपालन नहीं करता, (ग)	ख.एक पूर्णकालिक सदस्य ; अथवा

		शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण नहीं करता तथा (घ) बीमा समझौतों संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करता, जिससे अपेक्षित है कि वह इस प्रकार अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन करे, धारा 102 के अधीन अर्थदंड लगाने की शक्ति	ग.अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य का पैनल; अथवा
3.	104	धाराओं 27 और 27ई के उल्लंघन के लिए अर्थदंड लगाना	घ. दो पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल;
4.	105सी(2), 105डी	न्यायनिर्णयन अधिकारी से जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अर्थदंड लगाना तथा अर्थदंड की मात्रा का निर्णय करना	
5.	आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 का विनियम 22(6)	22 (6) –विनियम 22 का अनुपालन न करने के लिए अर्थदंड लगाना	जैसा कि उपर्युक्त (क) से (घ) तक के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जा सकता है।
6.	बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम संबंधी दिशानिर्देश , 2015के खंड 53-48	दिशानिर्देशों में निश्चित किये गये रूप में अर्थदंड लगाना	

टिप्पणी: *बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के अधीन किसी भी अन्य विषय पर निदेश के निर्गम के लिए प्रत्यायोजन प्राधिकरण की 135वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यक्ष के पास बना रहेगा।*

राज कुमार शर्मा, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./323/2026-27]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 10th September, 2026

F. No IRDAI/DoP/13/227/2026. —In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 23 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority has delegated its powers for imposition of penalties/ issuance of directions under the Insurance Act, 1938/ the Regulations/ Guidelines.

The delegation of powers as approved by the Authority are as under:

Sl. No.	**Sec. No./ Reg.no.**	**Nature of Power**	**Power delegated to**
1.	34 of the Insurance Act, 1938	Issuance of directions to any insurer or insurance intermediary in particular, in an enforcement proceeding for identified violations.	a. Chairperson; or

2.	102 of the Insurance Act, 1938	Exercise of power under Sec 102 to impose penalty on any person who fails to (a) furnish any document, statement, account, return or report to the authority, (b) comply with the directions, (c) maintain solvency margin and (d) comply with the directions on the insurance treaties, who is required to do so under the Act or rules or regulations made thereunder	b. A Whole Time Member; or c. Panel of Chairperson and one Whole Time Member; or d. Panel of two Whole Time Members; as may be decided by the Chairperson for (a) to (d) above.
3.	104	Imposition of penalty for contravention of sections 27 and 27E	
4.	105C(2), 105D	Imposition of penalty on receipt of inquiry report from the adjudicating officer and to decide the quantum of penalty	
5.	Reg. 22 (6) of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015	22 (6) –Imposition of penalty for non-compliance of Regulation 22	
6.	Clause 48-53 of Guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of insurance policies, 2015	Levy penalty as defined in Guidelines	

Note: *Delegation for issuance of direction on any other matter under section 34 of the Insurance Act, 1938 shall remain with the Chairperson in accordance with the decision taken in the 135th meeting of the Authority.*

RAJ KUMAR SHARMA, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./323/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA